



उ० प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ-226006

फोन : 91-522-2331096 सीयूजी : 91-945442608 फैक्स : 91-522-2335346

E-Mail : radiohq@nic.in Website : uppolice.gov.in

पत्रांक: ए-388/2004(भर्ती)

दिनांक: जुलाई 23, 2018

विज्ञप्ति

उ०प्र०पुलिस रेडियो शाखा में समूह "घ" संदेश वाहक के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

भर्ती का प्रकार :- समूह "घ" संदेश वाहक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती-2018

आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 16-08-2018 को सायं 05:00 बजे तक।

क्र० सं०	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संदेश वाहक	लेबल-1 (रु० 18000-56900)	62	31	17	13	01

भर्ती प्रक्रिया :- यह भर्ती "उत्तर प्रदेश पुलिस समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली-2009" सपठित "उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती(साक्षात्कार का बंद किया जाना)नियमावली-2017" के अन्तर्गत निम्न प्रकार से दो चरणों में होगी तथा लिखित परीक्षा के आधार पर चयन परिणाम घोषित किया जायेगा :-

- (1) संगत व्यवसाय की दक्षता परीक्षा
- (2) लिखित परीक्षा

अर्हताएं :-

1- आरक्षण :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुरूप होगा।

2-राष्ट्रीयता- संदेशवाहक के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -

क- भारत का नागरिक हो या

ख- तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

ग- भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी(ख)(ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है :-

परन्तु यह कि श्रेणी(ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी, कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले ;

क्रमशः

(2)

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी(ग) को हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

2. आयु :- अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2018 को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक (अर्थात् उसका जन्म 01 जुलाई, 1988 से पूर्व एवं 30 जून, 2000 के बाद न हुआ हो) की आयु न प्राप्त की हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

3. शैक्षिक अर्हता :- अभ्यर्थी ने कम से कम कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उसे विभागीय पुलिस बल की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उस पद के कार्य का अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित अनुभव हो और वह साइकिल चलाना जानता हो, परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी। अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

4. भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य श्रेणी के संबंध में शिथिलता :- भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैन्य कार्मिकों, युद्ध के दौरान शहीद हुए सैन्य कार्मिकों के आश्रितों, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता और भर्ती के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा में शिथिलता भर्ती के समय इस सरकार के सामान्य नियमों या आदर्शों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

5. चरित्र :- सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके।

टिप्पणी :- राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

6. वैवाहिक स्थिति :- नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो ;

परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकते हैं, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

7. शारीरिक स्वस्थता :- किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हेण्ड बुक खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल-10 के आधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

सामान्य निर्देश :- आवेदन पत्र में यथा स्थान नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो स्व-हस्ताक्षरित या अंगूठे का निशान लगाकर चिपकायें। आवेदन पत्र के साथ कोई भी परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के साथ पत्राचार हेतु स्पष्ट स्वयं का पता लिखा, ₹0 5/- का डाक टिकट लगा 10x30 से0मी0 का दो लिफाफा संलग्न होना चाहिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय,महानगर,लखनऊ-226006 के नामे भेजा जायेगा जिसके लिफाफे के ऊपर पदनाम अंकित किया जायेगा।


क्रमशः

(3)

अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन पत्र उ०प्र०पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ-226006 में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 16-08-2018 को सायं 05:00 तक प्राप्त कराया जा सकता है। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ, साइकिल चलाने की जानकारी का घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा। चयन के पश्चात सफल अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। सेवायोजन कार्यालय पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि हो तो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण प्रमाण-पत्र यदि हो तो उसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। निर्धारित तिथि व समय के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक में बिलम्ब के लिए विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आवेदन पत्र के विवरण में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदित पद के दक्षता की अर्हक परीक्षा दिनांक 30-08-2018 से 05-09-2018 तक(सम्भावित) (आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में परीक्षा निर्वाध रूप से प्रचलित रहेगी) उ०प्र०पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ पर आयोजित की जायेगी और अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 16-09-2018(सम्भावित) को उ०प्र०पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ पर आयोजित की जायेगी। समय एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट uppolice.gov.in पर तथा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भी दी जायेगी। अभ्यर्थियों को साइकिल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

अन्य :-

- (1) रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- (2) अभ्यर्थियों को अर्हक परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा तथा उन्हें अपने खाने-पीने व ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।
- (3) जनहित में किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को स्थगित करने/निरस्त करने या समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा।
- (4) चयनित अभ्यर्थियों का तत्समय प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत सूचना /घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा किसी तथ्य को जान-बूझ कर छुपाया गया है अथवा चरित्र सत्यापन के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं, जो सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हों, उनका चयन बिना किसी सूचना के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा। किसी भी प्रकार का विवाद स्थानीय सीमा क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में ही विचारणीय होगा।

 23.7.18

उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)मुख्यालय,
उ०प्र०पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर-लखनऊ।

पता : उ०प्र०पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ-226006 फोन: 0522-2331096 फैक्स: 0522-2335346
